



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 26 मई, 2012/5 ज्येष्ठ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25-05-2012

No. EDN-C-A (1)1/2008-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the up gradation of following Government Primary schools as per details given below:—

Name of Distt.

Primary to Middle School

Sirmour:

1. Chhou Bhogar, GP, Koti Dhaman

Kinnaur:

2. Khwangi, GP, Khwangi

These upgraded schools may be made functional from the academic session 2012-2013. Further the up gradation of these schools is subject to the condition that suitable accommodation is provided by the local public, if required.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord sanction for the creation of 10 posts of various categories of teaching staff for above upgraded schools as under:—

Sr.No.	Category of the post	Number of posts to be created.
1.	TGT(Arts)	01
2.	TGT(N.M.)	01
3.	O.T./Shastri	01
4.	P.E.T.	01
5.	D.M.	01
Total		= 05 X2=10 posts

The expenditure on account of above creation of posts will be debitable to head of Account 2202-General Education, 01-Primary Education, 101-Govt Primary Schools, 03-Middle Schools (Soon) Plan.

By order,
Sd/-
Secretary (Education).

**FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT.
LAHOUL SPITI AT KEYLONG**

NOTIFICATION

24-05-2012

No FDS-LSP-164-214.—In super-session of all previous notifications & in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(i) (e) of the Himachal Pradesh Hoarding and profiteering prevention Order 1977, I, S.S Guleria District Magistrate, Lahoul Spiti With a view to make the following items available to the public /consumer at reasonable rates in the market do hereby fix the maximum retail price inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by the dealer of the producer in Lahoul & Spiti District with immediate effect .

Sr. No. of the articles as per Schedule-1 of the said order	NAME OF ARTICLES		Maximum Retail Prices
1	2		3
12	A-1	Meat Bakra/ Bheda	220.00
	A-2	Kima kalegi	220.00
	A-3	Poti /Siri	120.00
	A-4	Chicken Dressed	160.00
COOKED FOOD SERVED IN ANY DHABAS & ESTABLISHMENT			
17	A	Chapati Tandoori	4.00
	B	Chapati Tawa	3.50
	C	Stuffed Prauntha with pickle	10.00

1	2		3
	D	Two puri with Channa (with Curd)	20.00
	E	Palak/ Matter paneer per plate	50.00
	F	Rice parmal per plate	15.00
	G	Dal Ordinary (per plate)	10.00
	H	Dal Fried per plate	15.00
	I	Vegetable special (per plate)	25.00
	J	Rice One plate & Two Chapati with Dal Vegetable full Diet	40.00
	K	Meat Plate with 5 pieces (200 Grm tari per plate)	55.00
	L	Chicken Curry (per plate)	45.00
	M	Thukpa, Non Veg (Full Bowls)	40.00
	N	Thukpa, Non Veg (Half Bowls)	25.00
	O	Thukpa, Veg (Full Bowls)	35.00
	P	Thukpa, Veg (Half Bowls)	20.00
	Q	Momo, Non Veg (Full Plate)10 pieces	40.00
	R	Momo Non Veg (Half Plate) 5 pieces	25.00
	S	Momo ,Veg (Full Plate)10 Pieces	35.00
	T	Momo ,Veg (Half Plate) 5Pieces	20.00
	U	Chowmein, Non Veg (Full Plate)	50.00
	V	Chowmein, Non Veg (Half Plate)	30.00
	W	Chowmein, Veg (Full Plate)	40.00
	X	Chowmein, Veg (Half Plate)	25.00
	Y	1. Tea (Per Cup)	5.00
	Z	2. Samosa	5.00
18	A	Milk per litre (Local Supply)	20.00
	B	Milk Boiled, per litre	21.00
	C	Milk Packed , per litre	As per printed Rate
	E	Paneer Packed	As per printed Rate
	F	Paneer (Local Supply)	200.00
	F	Curd	30.00
Bottled Beverages			
20	A	Cold Drinks	As per print price
	B	Fruit Drinks	As per print price
	C	Mineral Water	As per print price

Note.—All the dealers of Lahoul Spiti District are hereby directed to display the rate list of above commodities **conspicuously** in “ **DEVNAGRI**” script at their business premises for the information of the consumers duly signed either by the owner/ Prop or Manager.

This Notification shall **valid** for a period of one month from the date of its publication in official Gazette.

Sd/-
(S.S GULERIA),
District Magistrate,
Keylong, Distt. Lahoul Spiti.

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24.05.2012

संख्या: पब-ए(1)-16/88-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या: दिनांक 17-9-2011 का अधिक्रमण करते हुए प्रदेश सरकार विकासात्मक पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2010 के लिए छानबीन समिति (Screening Committee) तथा वर्ष 2011 के लिए छानबीन समिति ने निम्नलिखित सदस्यों को मनोनित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. श्री अनिल सोनी, सम्पादक, दिव्य हिमाचल, कांगड़ा, स्थित मटौर
2. श्री राजेन्द्र सिंह, स्थानीय सम्पादक, अमर उजाला, शिमला
3. प्रधान सचिव (सूचना एवं जन-सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार
4. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश

उपरोक्त समिति विकासात्मक पत्रकारिता के लिए वर्ष 2010 और वर्ष 2011 के लिए जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, की छानबीन कर निर्णायक मंडल के समक्ष रखने की सिफारिश करेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता0/-
प्रधान सचिव (सूचना एवं जन-सम्पर्क)।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24.05.2012

संख्या: पब-ए(1)-16/88-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या: दिनांक 17-9-2011 का अधिक्रमण करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विकासात्मक पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2010 और वर्ष 2011 के लिए निर्णायक मंडल में निम्नलिखित सदस्यों को मनोनित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. श्री रमेश विनायक, स्थानीय सम्पादक, हिन्दूस्थान टाईम, चण्डीगढ़
2. श्री राजा बोस, स्थानीय सम्पादक, टाइम्स आफ इंडिया, चण्डीगढ़
3. श्री उदय कुमार, कार्यकारी सम्पादक, अमर उजाला, चण्डीगढ़
4. श्री कमलेश सिंह, राज्य सम्पादक, दैनिक भास्कर, चण्डीगढ़

उपरोक्त निर्णायक मण्डल राज्य से सम्बन्धित विकासात्मक लेख जो वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 के लिए पुरस्कार के लिए प्राप्त हुए हैं, उनमें से पुरस्कार देने के लिए सरकार को सिफारिश करेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ता0/-
प्रधान सचिव (सूचना एवं जन-सम्पर्क)।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24.05.2012

संख्या: पब-ए(1)-16/88-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हि0 प्र0 में विकासात्मक पत्रकारिता के लिए वर्ष 2009-2010 के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए पुरस्कार देने के लिए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-9-2011 के अन्तर्गत मनाने त छानबीन समिति के सदस्यों को वर्ष 2011 के लिए भी छानबीन समिति के सदस्य मनोनित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

उपरोक्त समिति राज्य से सम्बन्धित विकासात्मक स्टोरियां, जो विभिन्न राष्ट्रीय स्तर व न्यूज चैनलों में प्रसारित हुई है और जिनकी प्रविष्टियां पुरस्कार के लिए प्राप्त हुई है, की छानबीन कर उपयुक्त स्टोरियों को निर्णायक मंडल के समक्ष रखने की सिफारिश करेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता0/-
प्रधान सचिव (सूचना एवं जन-सम्पर्क)।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24.05.2012

संख्या: पब-ए(1)-16/88-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हि0 प्र0 में विकासात्मक पत्रकारिता के लिए वर्ष 2009-2010 के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-9-2011 के अन्तर्गत मनोनित निर्णायक मंडल के सदस्यों को वर्ष 2011 के लिए भी निर्णायक मंडल के सदस्य मनोनित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

उपरोक्त निर्णायक मंडल राज्य से सम्बन्धित विकासात्मक स्टोरियां, जो विभिन्न राष्ट्रीय स्तर व न्यूज चैनलों में प्रसारित हुई है और जिनका चयन छानबीन समिति द्वारा किया गया है, उनमें से चयन कर, पुरस्कार के लिए प्रदेश सरकार को सिफारिश करेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ता0/-
प्रधान सचिव (सूचना एवं जन-सम्पर्क)।

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2012

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-05-2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 32 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
प्रधान सचिव (विधि)।

2012 का अधिनियम संख्यांक 32

हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977 (1978 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. **धारा 22 का संशोधन.**-हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और (2) में, "पचास" और "दो सौ पचास" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां ये आते हैं, क्रमशः "दस हजार" और "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 29 का संशोधन.**-मूल अधिनियम की धारा 29 में, "तीन सौ" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 30 का संशोधन.**-मूल अधिनियम की धारा 30 में "प्रथम अपराध की दशा में दो सौ पचास रुपए से अनधिक जुर्माने और द्वितीय या किसी पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए पांच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने या दोनों में से किसी भान्ति के छह मास के कारावास" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अपराध की दशा में दस हजार रुपए से अनधिक और द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से या दोनों में से किसी भान्ति के दो वर्ष के कारावास से" शब्द रखे जाएंगे।

ACT NO. 32 OF 2012

THE HIMACHAL PRADESH NURSES REGISTRATION (AMENDMENT) ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST MAY, 2012)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Nurses Registration Act, 1977 (Act No. 15 of 1978).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Nurses Registration (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 22.—In section 22 of the Himachal Pradesh Nurses Registration Act, 1977 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-sections (1) and (2), for the words “fifty” and “two hundred and fifty” whenever these occur, the words “ten thousand” and “twenty thousand” shall respectively be substituted.

3. Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act, for the words “three hundred”, the words “twenty five thousand” shall be substituted.

4. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for the words “two hundred and fifty rupees in the case of first offence and for a second or any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees or imprisonment of either description for six months”, the words “ten thousand rupees in the case of first offence and for a second or any subsequent offence to a fine not exceeding twenty five thousand rupees or imprisonment of either description for two years” shall be substituted.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, दिनांक

संख्या: वि०स०/स्था०/सेवा०नि०/६-३०/८०.—अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री वीरपाल सिंह, अवर सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, दिनांक 31.10.2012 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर.-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ता०/—
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, दिनांक

संख्या: वि०स०/स्था०/सेवा०नि०/6-30/80.—अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री नारायण सिंह कोटवी, अवर सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, दिनांक 31-10-2012 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर.-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ता०/—
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

IN THE COURT OF DR. MADHU CHAUDHARY (H.P.A.S.), SUB-DIVISIONAL
MAGISTRATE, DALHOUSIE, DISTRICT CHAMBA, HIMACHAL PRADESH

Shri Durga Dass s/o Shri Arth Ram, r/o Upper Bakrota Ward No. 1, Dalhousie, Tehsil
Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Shri Durga Dass s/o Shri Arth Ram, r/o Upper Bakrota Ward No. 1, Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his son namely Neeraj Kumar *i. e.* on 9-10-1993 for entry in the record of concerned Municipal Council Dalhousie, thereof.

Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/claim regarding the registration of date of birth of his son in the concerned Municipal Council Dalhousie, they may file their claim/objections on or before 17-6-2012 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council Dalhousie for registration.

Given today the 7th May, 2012 under my signature and seal of this Court.

Seal.

DR. MADHU CHAUDHARY (H.P.A.S.),
Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie,
District Chamba, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री विक्रम पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव व डा0 धरेच, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विक्रम पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव व डा0 धरेच, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने नाम विजय कुमार से विक्रम दुरुस्त करने बारे परिवार रजिस्टर अभिलेख ग्राम पंचायत धरेच में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

यशपाल सिंह वर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव भलेड़ी, डा0 माहोरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव भलेड़ी, डा0 माहोरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र अभिशेख का नाम मय जन्म तिथि जिसकी जन्म तिथि दिनांक 23-5-2003 है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत माहोरी के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

यशपाल सिंह वर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री यशपाल सिंह वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व० श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव ठाकुरशील, डा० बणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेश चन्द पुत्र स्व० श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव ठाकुरशील, डा० बणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपना नाम सुरेश जन्म तिथि 19-7-1948, पत्नी श्रीमती मीनू जन्म तिथि 15-12-1954, पुत्र विकास की जन्म तिथि 16-2-1980 तथा पुत्रवधु जिसकी जन्म तिथि 25-2-1981 है को परिवार रजिस्टर अभिलेख ग्राम पंचायत बणी में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

यशपाल सिंह वर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री पी० सी० शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री दौलत राम, निवासी ग्राम बटाड़ा, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द उपरोक्त ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में ओम प्रकाश दर्ज है। जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने शपथ-पत्र दायर किया है कि उसका नाम ओम प्रकाश के बजाए प्रकाश चन्द राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना है।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 22-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी० सी० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर,
उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री पी0 सी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री कुन्दन लाल पुत्र श्री शंकर दास, निवासी ग्राम कडिवन, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कुन्दन लाल उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसकी पत्नी, पुत्र व पुत्री के नाम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। जिस बारे उपरोक्त प्रार्थी ने शपथ-पत्र दायर किया है कि उसकी पत्नी, पुत्र व पुत्री के नाम किसी कारणवश पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका।

अतः इस विषय में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 22-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पैरवी हेतु पेश हो अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 सी0 शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, टिक्कर,
उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

